न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 104/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/243

प्रार्थीः–

उगमराज पुत्र देवराज, जाति जैन निवासी No. 2/3 G Block Bharati Dharsan Streat MM DA Colony v/c Aram Bahakam, Channai 600106

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. शांन्तिदेवी पत्नी स्व. मदनलाल जाति जैन निवासी अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी 201, H.N. 1211 Shiravane Nerul Navi Mumbai 400706
2. राजेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति जैन निवासी Jankin Parshuram Sankul Niwas Room, Near Ganesh Mander Road No. 201, House No-1211, Shiravane Nerul navi Mumbai 4000406
3. विक्की जैन पुत्र स्व. मदनलाल जाति जैन निवासी अटबड़ा हाल निवासी Vinayak Jewellres, T-4 Shop No. 3 Near Jain Hardware Pratkisha Nagar, Sion Koliwada Mumbai-22
4. भागवती पुत्री स्व. मदनलाल पत्नी भरत कुमार परमार जाति जैन निवासी New Bharat Coleotoon, Bajar Pack पोईनाड़, हेरूदलाल नगर, अलीबाग जिला रायगढ़ महाराष्ट्र 402108
5. मैनादेवी पत्नी स्व. देवराज जाति जैन निवासी अटबड़ा तहसील सोजतसिटी जिला पाली राजस्थान।
6. मोंतीलाल पुत्र देवराज जाति जैन निवासी साई अमरूद प्लॉट नं. 13 रूम नम्बर 401 सैक्टर 44ए, सिवुड वेस्ट नई मुम्बई 400706
7. इन्द्रचन्द पुत्र स्व. देवराज जाति जैन निवासी अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान हाल निवासी मैना पान ब्रोकर, शिवन कोयल रोड़, मुनुस्वामी नगर चेन्नई 77
8. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत अटबड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

9. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।

–: निर्णय :–

दिनांक : 16/09/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा मिसल संख्या 15/2017–18, संकल्प संख्या 04/05.06.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि देवराज का एक रहवासीय पुश्तैनी मकान ग्राम अटबड़ा के आबादी क्षेत्र में आया हुआ है, जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पुश्तैनी कब्जासुदा हक का है, जिसे उभयपक्ष के सामलाती संयुक्त रूप से रखा गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश कर विधिविरूद्ध तरीके से सम्पूर्ण मकान के अपने अकेले के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी होने पर पट्टाधारक ने उक्त पट्टा गलत जारी करवाना स्वीकारते हुये एक कोटुंबीक सुलक विलेख दिनांक 31.10.2020 को निष्पादित किया। ग्राम पंचायत ने देवराज के सभी विधिक वारिसानों को सूचित किये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा मिसल संख्या 15/2017–18, संकल्प संख्या 04/05.06.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य कथन यह था कि जैर निगरानी मकान पुश्तैनी है तथा अप्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में भी यह स्वीकार किया कि उक्त मकान पुश्तैनी है। इन तथ्यों की ताईद में अधिवक्ता कौटंबीक सुलाह विलेख दिनांक 31.10.2020 का दस्तावेज पेश किया। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे की मिसल का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अवलोकन करने पर पाते है कि पट्टाधारक ने अपने आवेदन–पत्र में पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने का कथन किया। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि के मौका निरीक्षण प्रपत्र में में मौके पर प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा होना वर्णित है। इसी प्रकार देवराज के पुत्रों के मध्य निस्पादित कौटुंबीक सुलाह दस्तावेज दिनांक 30.10.2020 में वर्णित तथ्य भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों को बल देते है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत मकान पुश्तैनी है तथा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना–सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है–याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह–स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था–अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह–स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है–अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है–किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226–ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया–चुनौती–विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है–अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है–अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है–महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और न ही आवेदन–पत्र पर कोई दिनांक अंकित है, साथ ही आवेदन–पत्र के साथ जो सहमति–पत्र पेश किया उसमें केवल पड़ौस अंकित है इसके अतिरिक्त शेष आवश्यक जानकारी रिक्त है। सम्पूर्ण आदेशिका निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें आवेदनकर्त्ता का नाम अलग से अंकित किया हुआ है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 14.04.2017, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें आवेदनकर्त्ता द्वारा रसीद संख्या 01 दिनांक 14.04.2017 के द्वारा कुल राशि 120/– रूपये जमा करवाना अंकित किया जबकि मिसल की सूची कागजात में उक्त राशि

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जरिये रसीद संख्या 15 दिनांक 14.04.2017 के द्वारा प्राप्त होना अंकित किया है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। आदेशिका दिनांक 05.05.2017 के द्वारा सचिव को प्रश्नगत मकान का नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत मकान का जो नक्शा बनाया गया उस पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है साथ ही उक्त नक्शा कब बनाया गया, इस सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Co!lector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रारूप में प्रिंटेड है। मिसल की आदेशिका दिनांक 22.05.2017 के द्वारा 7 दिवस का आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये लेकिन आदेशिका दिनांक 05.06.2017 में उक्त नोटिस दिनांक 05.05.2017 को जारी होना अंकित किया है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी है। हस्तगत प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया उस पर ग्राम पंचायत की मोहर नहीं है साथ ही नोटिस की पुश्त पर न तो सहजृदश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट अंकित है और न ही दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत अटबड़ा द्वारा मिसल संख्या 15/2017–18, संकल्प संख्या 04/05.06.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 15 दिनांक 15.06.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली